[2018] 6 एस.सी.आर 582

भारतीय तेल निगम लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

टी. नटराजन

(सिविल अपील संख्या 6748/2018)

17 जुलाई, 2018

[न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति, उदय उमेश ललित]

प्रशासनिक कानूनः सरकारी कंपनी द्वारा प्रशासनिक निर्णय–उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप–तथ्यों पर, डीलरशिप समझौते की अनुमति–जिसमें प्रत्यर्थी अपीलकर्ता–सरकारी कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों को बेच रहा है–कुछ उल्लंघनों के लिए प्रत्यर्थी के डीलरशिप समझौते को समाप्त करना–मध्यस्थ निर्णय कि डीलरशिप की समाप्ति का पत्र कड़ी कार्रवाई का आह्वान करता है, हालांकि, क्योंकि उनका आउटलेट 2 साल के लिए बंद है, उदार दृष्टिकोण लिया जा सकता है–उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को डीलरशिप जारी रखने के लिए अपीलकर्ता से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ पंचाट को बरकरार रखा–इसके अनुसार, प्रत्यर्थी को ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए प्रतिनिधित्व स्थानांतरित किया गया, और उसे खारिज कर दिया गया–इसके बाद, प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका–एकल न्यायाधीश ने डीलरशिप पत्र की समाप्ति को बरकरार रखा जबकि डिवीज़न बेंच द्वारा डीलरशिप पत्र की समाप्ति के आदेश को अपस्त कर परमादेश जारी किया की अपीलार्थी द्वारा डीलरशिप को पुनर्स्थापित की जाय और प्रत्यार्थी अपने फिलिंग स्टेशन पर तेल की आपूर्ति पप्राम्भ करे। अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि– हालांकि प्रत्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करना कि उसकी डीलरशिप को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं, पक्षकारों के बीच कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण था और यह निर्णय पारित होने और एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद उत्पन्न हुआ–इसका पंचाट से कोई लेना–देना नहीं है और न ही इसे मध्यस्थता की कार्यवाही से जोड़ा जा सकता है–यह निर्णय लेना केवल अपीलार्थी के विवेक के भीतर था–अपीलार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके लिए अपनी डीलरशिप को बहाल करना संभव नहीं था–रिट अदालत ने अस्वीकृति को इस आधार पर बरकरार रखने में न्यायसंगत ठहराया कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही वह रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्णय पर अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करके अपने निर्णय को प्रतिस्थापित कर सकता है–जब ऐसा निर्णय अधिक होता है तो ऐसा होता है। डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल किया जाता है–मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

अपील स्वीकार कर न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि–

1.1 डिवीजन बेंच का निर्णय न्यायनुमत नहीं था, जिसमें उनके द्वारा एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) के फैसले को पलटते हुए आई. ओ. सी.–सरकारी कंपनी के पत्र को दरकिनार कर दिया, जिसने प्रत्यर्थी की डीलरशिप को समाप्त कर दिया था और आई. ओ. सी. के खिलाफ प्रत्यर्थी की डीलरशिप को बहाल करने और उसके ईंधन स्टेशन को ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए एक आदेश जारी किया था।

1.2. एकल न्यायाधीश के पंचाट और आदेश को स्पष्ट रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है कि मध्यस्थ ने स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी के खिलाफ निर्णय दिया कि उसने डीलरशिप समझौते का उल्लंघन किया है और इस स्पष्ट निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, मध्यस्थ ने वास्तव में, प्रत्यर्थी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान करते हुए डीलरशिप की समाप्ति के पत्र को बरकरार रखा। वास्तव में, एक बार उल्लंघनों का पता चलने के बाद, इस तरह के निष्कर्ष से जो एकमात्र परिणाम सामने आया, वह था डीलरशिप समझौते की समाप्ति के पत्र को बरकरार रखना।चूंकि मध्यस्थता खंड 69 (सी) मध्यस्थ को मध्यस्थता कार्यवाही में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है, इसलिए मध्यस्थ और एकल न्यायाधीश ने भी पंचाट को बरकरार रखते हुए प्रत्यर्थी को आई. ओ. सी. में प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता देना उचित समझा ताकि वह अपने डीलरशिप की बहाली के लिए अपने मामले पर फिर से विचार कर सके।इस तरह की स्वतंत्रता का यह अर्थ कभी नहीं लगाया जा सकता कि मध्यस्थ ने या तो प्रत्यर्थी की डीलरशिप की समाप्ति के पत्र को अलग कर दिया था या प्रत्यर्थी को ईंधन की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया था।

1.3. प्रत्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करना कि क्या उसकी डीलरशिप को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं, पक्षों के बीच कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण था और यह निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित और बरकरार रखे जाने के बाद उत्पन्न हुआ।इसलिए इसका निर्णय से कोई लेना–देना नहीं है और न ही इसे मध्यस्थता की कार्यवाही से जोड़ा जा सकता है।

1.4. यह पूरी तरह से आई. ओ. सी. के विवेक के भीतर था–वे प्रधान होने के नाते यह तय करने के लिए कि प्रत्यर्थी की डीलरशिप को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं और यदि ऐसा है, तो किस आधार पर।

आई. ओ. सी. ने प्रत्यर्थी के मामले पर विचार किया और प्रत्यर्थी के काम में दिखाई देने वाले सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके लिए उसकी डीलरशिप को बहाल करना संभव नहीं था।

1.5. रिट न्यायालय (एकल न्यायाधीश) ने न्यायनुमत रूप से प्रत्यर्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया और इस आधार पर अस्वीकृति को बरकरार रखा कि उच्च न्यायालय आई. ओ. सी. के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही वह रिट अधिकार क्षेत्र

का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्णय पर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करके अपने निर्णय को प्रतिस्थापित कर सकता है।यह तब अधिक होता है जब ऐसा निर्णय किसी भी प्रकार की मनमानी से जुड़े कारणों पर आधारित होता है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।[पैरा 38] [591–डी]

1.6 डिवीजन बेंच ने पंचाट की व्याख्या करने में त्रुटि की।डिवीजन बेंच ने पूरी तरह से गलत धारणा पर आगे बढ़ना शुरू किया कि चूंकि पंचाट प्रत्यर्थी के पक्ष में था, इसलिए आई. ओ. सी. को केवल उसके अनुपालन में एक परिणामी आदेश जारी करना था जिसमें आई. ओ. सी. को प्रत्यर्थी की डीलरशिप को पुनर्जीवित करने और प्रत्यर्थी को ईंधन की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया गया था।डिवीजन बेंच का यह दृष्टिकोण गलत था और इसलिए, कानूनी रूप से अस्थिर है।एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया तर्क और निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित है, जबकि खंड पीठ द्वारा किया गया तर्क और निष्कर्ष उचित नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया गया है।एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) के आदेश को बहाल किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है। [प्रस्तर – 39, 40 & 42][591–E–G–592–A–B(592)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 6748/2018

रिट अपील संख्या 589/2015 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 08.10.2015 से –

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल नारायण, सुश्री माला नारायण, शाश्वत गोयल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण के लिए।

मोहन परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. एल. चिदानंद, अश्विन कुमार डी. एस., अधिवक्ता, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे** द्वारा दिया गया–

1. 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील रिट अपील सं 589/2015 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक– 8.10.2015 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट अपील को अनुमति दी और 2013 की रिट याचिका संख्या 10026 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

3. अपील में शामिल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक है। तथ्य एसएलपी पेपर बुक से लिए गए हैं।

4. अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थी सं.1 व 2 थे तथा एकमात्र प्रत्यर्थी उच्च न्यायालयके समक्ष रिट याचिका मे रिट याचिकाकर्ता था, जिसमें प्रश्नगत अपील दायर की गई है।

5. अपीलकर्ता संख्या 1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक सरकारी कंपनी है (जिसे इसके बाद आईओसी के रूप में संदर्भित किया गया है)।आई. ओ. सी. पेट्रोल, हाई–स्पीड डीजल (एच. एस. डी.), स्नेहक आदि जैसे कई पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है। आई. ओ. सी. ने अपने खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए पूरे देश में कई खुदरा आउटलेट स्थापित किए हैं।

6. 31.08.1989 पर, आई. ओ. सी. ने प्रत्यर्थी को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए अपने खुदरा विक्रेता के रूप में नियुक्त किया।इस संबंध में आई. ओ. सी. और प्रत्यर्थी के बीच एक डीलरशिप समझौता (अनुलग्नक पी–12) तदनुसार निष्पादित किया गया था।

7. प्रत्यर्थी को डीलरशिप समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार व्यवसाय करना था। तदनुसार प्रत्यर्थी ने जीएसटी रोड, कूटेरीपट्टू शहर (तमिलनाडु) में मेसर्स लक्ष्मी सर्विस स्टेशन के नाम और शैली में अपना पेट्रोल पंप स्थापित किया और आईओसी के पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री शुरू की।

8. 01.08.2008 पर, श्रम उप निरीक्षक (वजन और माप) ने प्रतिवादी के पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया।इसके बाद आई. ओ. सी. के बिक्री अधिकारी द्वारा 02.08.2008 पर एक और निरीक्षण किया गया।इन दो निरीक्षणों में यह देखा गया कि

> "पेट्रोल पंप मॉडल सीरियल No.1578 में L & T लाइन DU के टोटलाइज़र तार एमएस 2 पंप पर इस्तेमाल किया गया कट पाया गया।दूसरे शब्दों में, इनमें निरीक्षणों में, "कोई टोटलाइज़र सील" नहीं पाया गया।

9. यह वे निरीक्षण हैं, जिन्होंने आई. ओ. सी. द्वारा 27.08.2008 पर प्रत्यर्थी को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करने को जन्म दिया।निरीक्षणों का विवरण निर्धारित करने के बाद कारण बताएँ नोटिस में आगे कहा गया कि निरीक्षणों में देखे गए कथित उल्लंघनों के लिए प्रत्यर्थी के दिनांकित 31.08.1989 के डीलरशिप समझौते को क्यों समाप्त नहीं किया जाए।प्रत्यर्थी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया था।प्रत्यर्थी ने अपना जवाब दाखिल किया।

10. प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाब से संतुष्ट नहीं, आई. ओ. सी. ने 11.03.2009 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी के डीलरशिप समझौते को समाप्त कर दिया।

11. प्रत्यर्थी ने अपने डीलरशिप समझौते की समाप्ति से व्यथित महसूस किया और डीलरशिप समझौते के खंड 69 को लागू किया जो डीलरशिप समझौते के संबंध में मध्यस्थ द्वारा उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए प्रदान किया गया था और उन्होंने आई. ओ. सी. से अनुरोध किया कि वह इस मामले को मध्यस्थ को अपने निर्णय के लिए भेजे।आई. ओ. सी. ने प्रत्यर्थी के

अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तदनुसार उसकी डीलरशिप की समाप्ति से संबंधित मामले को एकमात्र मध्यस्थ को भेज दिया।

12. मध्यस्थ ने तब संदर्भ शुरू किया और अपना तर्कपूर्ण पुरस्कार दिनांक 14.10.2011 पारित किया।पुरस्कार का संचालन भाग इस प्रकार हैः

> **"दावेदार द्वारा टोटलाइज़र सील के टूटने के बाद भी बिक्री जारी रखने का कार्य, विचाराधीन, कड़ी कार्रवाई की मांग करता है।हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं था।फिर से, याचिकाकर्ता को खुदरा दुकानों की बंद स्थिति के लिए पहले ही दो (2) वर्षों से अधिक समय से काफी नुकसान उठाना पड़ा है।इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा संदेह के लाभ के तत्व को ध्यान में रखते हुए एक उदार दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है।**

13. मध्यस्थ के निर्णय से व्यथित आई. ओ. सी. ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत एक आवेदन (2012 का ओ. पी. <आई. डी. 2) दायर करके इसकी वैधता पर सवाल उठाया, जबकि प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष उसे ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए एक अंतरिम आवेदन No.447/2012 दायर किया।

14. दिनांक 23.11.2012 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया और पंचाट को बरकरार रखा।आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

> **"परिणामस्वरूप, तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए मध्यस्थता निर्णय की पुष्टि डीलर को वितरण जारी रखने और आपूर्ति और बिक्री के लिए लिखित अनुरोध के साथ आई. ओ. सी. से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ की जाती है और आई. ओ. सी. को इस तरह के लिखित अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पहले प्रत्यर्थी/डीलर के इस तरह के अनुरोध पर विधिवत विचार करने के लिए आगे का निर्देश जारी किया जाता है।आई. ओ. सी. द्वारा दायर ओ. पी. और डीलर द्वारा दायर आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"**

15. उपरोक्त आदेश को अंतिम रूप मिल गया, क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी उपरोक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की।

16. तब प्रत्यर्थी ने 20.02.2013 पर अपीलार्थी (आई. ओ. सी.) को एक अभ्यावेदन दायर किया जिसमें उनसे पंचाट के निर्देशों के अनुसार उन्हें ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया।दिनांकित 13.03.2013 पत्र द्वारा, आई. ओ. सी. ने प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने के कारण बताते हुए अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया।

17. प्रत्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन की अस्वीकृति से व्यथित महसूस किया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।अपीलार्थी (आई. ओ. सी.) ने रिट याचिका का विरोध किया और प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने के अपने आदेश का बचाव किया।

18. दिनांक 17.04.2014 के आदेश द्वारा, एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) ने रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रतिवादी के प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के लिए की गई चुनौती का कोई गुण नहीं पाया गया और इसे न्यायसंगत और उचित बताते हुए कोई हस्तक्षेप नहीं होने के रूप में बरकरार रखा।प्रत्यर्थी ने व्यथित महसूस किया और डिवीजन बेंच के समक्ष अदालत के भीतर अपील दायर की।

19. विवादित आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करते हुए आई. ओ. सी. को प्रतिवादी की डीलरशिप को बहाल करने और उसके ईंधन स्टेशन को ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए एक आदेश जारी किया।पैरा 21 और 22 में निहित डिवीजन बेंच के आदेश का कार्यात्मक भाग निम्नानुसार हैः

> **"21. निगम द्वारा पंचाट को रद्द करने के लिए दायर आवेदन को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।निगम अब प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए पंचाट की पुष्टि करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठा रहा है।समाप्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए निर्णय पर पहुँचने को देखते हुए निगम द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उस पर आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।चूंकि आपूर्ति केवल डीलरशिप की समाप्ति के आदेश के कारण बंद कर दी गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से पुरस्कार के तुरंत बाद आपूर्ति फिर से शुरू हो जानी चाहिए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त पुरस्कार को बरकरार रखा जाना चाहिए।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया था।इसलिए हमारा विचार है कि अपीलार्थी को सफल होना चाहिए।**
>
> **22. परिणामस्वरूप, दूसरे प्रत्यर्थी की फाइल पर 13 मार्च 2013 का आदेश अपास्त कर दिया गया है।अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की गयी अनुमति है। प्रथम प्रत्यर्थी को 14 अक्टूबर 2011 के आदेश के अनुसार एक परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि अपीलार्थी की डीलरशिप को बहाल किया जा सके और ईंधन स्टेशन को आपूर्ति फिर से शुरू की जा सके। इस तरह की**

कार्यवाही इस फैसले की प्राप्ति या प्रति पेश करने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।"

20. यह उपरोक्त आदेश के खिलाफ है, आई. ओ. सी. ने व्यथित महसूस किया और इस अदालत के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की।

21. अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी और प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन को सुना।

22. श्री हुज़ेफा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विवादित आदेश की वैधता और शुद्धता पर जोर देते हुए मुख्य रूप से तीन प्रस्तुतियों का आग्रह किया।

23. सबसे पहले, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) द्वारा पारित सुविचारित आदेश, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के डीलरशिप के समाप्ति पत्र को बरकरार रखा गया था, को डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अधिवक्ता, एकल न्यायाधीश के आदेश में खंड पीठ द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था, जिसने प्रतिवादी की रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया था।

24. दूसरे स्थान पर, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचाराधीन मुद्दे से निपटने में डिवीजन बेंच का दृष्टिकोण ही दोषपूर्ण था क्योंकि यह गलत तरीके से इस धारणा पर आगे बढ़ा कि दिनांक 14.10.2011 के पंचाट ने दिनांक 13.03.2013 समाप्ति पत्र को अपास्त कर दिया था और प्रत्यर्थी की डीलरशिप को उसके पक्ष में बहाल कर दिया था।

25. विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय के तर्क और कार्यात्मक भाग की उचित व्याख्या पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी के खिलाफ एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि निरीक्षण के आधार पर प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थीगण द्वारा कथित उल्लंघन किए गए थे, जिसके लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी।

26. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों के बाद दिए गए पंचाट ने प्रत्यर्थी को आई. ओ. सी. द्वारा अपने डीलरशिप की बहाली के लिए अपने मामले पर फिर से विचार करने के लिए प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता दी, लेकिन इससे आगे नहीं। वास्तव में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यदि पंचाट प्रत्यर्थी के पक्ष में था, तो ऐसे मामले में मध्यस्थ और एकल न्यायाधीश को प्रत्यर्थी को अपने मामले पर फिर से विचार करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

27. तीसरे स्थान पर, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि एक बार जब आई. ओ. सी. ने प्रत्यर्थी के मामले पर विचार किया और उसे अपनी डीलरशिप की बहाली के लाभ से बहुत कम कोई राहत देने का कोई मामला नहीं पाया, तो इस मुद्दे को पक्षों के बीच अंतिम रूप मिल गया।

28. यह उनका निवेदन था कि डिवीजन बेंच को, इस परिस्थिति में, अपने रिट अधिकार क्षेत्र में, आई. ओ. सी. के फैसले और प्रतिवादी के डीलरशिप की सीधी बहाली पर अपीलीय अदालत के रूप में बैठने की कोई शक्ति नहीं थी।

29. यह मुख्य रूप से ये तीन प्रस्तुतियाँ हैं, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभिलेख पर विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख करके अपनी प्रस्तुतियों को विस्तार से बताया।

30. जवाब में, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन ने विवादित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि विवादित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, अपील खारिज होने योग्य है।

31. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तगण को सुनने और अभिलेख के अवलोकन से, हम अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में बल पाते हैं।

32. इस अपील में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या डिवीजन बेंच एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) के फैसले को उलटने में सही थी।दूसरे शब्दों में, जो प्रश्न विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या डिवीजन बेंच ने आई. ओ. सी. के दिनांकित 13.03.2013 के पत्र को अपास्त से में उचित थी। जिसने प्रत्यर्थी की डीलरशिप को समाप्त कर दिया था और इसलिए, आई. ओ. सी. के खिलाफ एक आदेश जारी करने में उचित था ताकि इसमें प्रत्यर्थी की डीलरशिप को बहाल किया जा सके और उसके ईंधन स्टेशन को ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू की जा सके।

33. हमारी सुविचारित राय में, डिवीजन बेंच का ऐसा करना उचित नहीं था और यह हम निम्नलिखित कारणों से कहते हैं।

34. सबसे पहले इस सवाल के लिए कि दिनांक 14.10.2011 के पंचाट की उचित व्याख्या क्या है और एकल न्यायाधीश का आदेश जिसने पुरस्कार को बरकरार रखा और यह वास्तव में क्या तय करता है, हमारी राय में, इन आदेशों का एक सादा अध्ययन इंगित करता है कि मध्यस्थ, स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी के खिलाफ अभिनिर्धारित करता है कि उसने डीलरशिप समझौते का उल्लंघन किया है और इस स्पष्ट निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, मध्यस्थ ने, वस्तुतः, प्रत्यर्थी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान करते हुए डीलरशिप की समाप्ति के पत्र को बरकरार रखा।वास्तव में, एक बार उल्लंघनों का पता चलने के बाद, इस तरह के निष्कर्ष से जो एकमात्र परिणाम सामने आया, वह था डीलरशिप समझौते की समाप्ति के पत्र को बरकरार रखना।चूंकि मध्यस्थता खंड 69 (सी) मध्यस्थ को मध्यस्थता कार्यवाही में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है, इसलिए मध्यस्थ और इसलिए एकल न्यायाधीश ने भी

पुरस्कार को बरकरार रखते हुए प्रत्यर्थी को आई. ओ. सी. में प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता देना उचित समझा ताकि वह अपने डीलरशिप की बहाली के लिए अपने मामले पर फिर से विचार कर सके।इस तरह की स्वतंत्रता का यह अर्थ कभी नहीं लगाया जा सकता कि मध्यस्थ ने या तो प्रत्यर्थी की डीलरशिप की समाप्ति के पत्र को अलग कर दिया था या प्रत्यर्थी को ईंधन की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया था।

35. प्रत्यर्थी ने, दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, आई. ओ. सी. में अपना प्रतिनिधित्व दायर किया, लेकिन आई. ओ. सी. ने अपने विवेक से, कारणों के साथ इसे खारिज कर दिया।

36. हमारी राय में, प्रत्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करना कि क्या उसकी डीलरशिप को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं, पक्षों के बीच कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण था और यह पंचाट के बाद उत्पन्न हुआ। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित और बरकरार रखा गया था।इसलिए इसका निर्णय से कोई लेना–देना नहीं है और न ही इसे मध्यस्थता की कार्यवाही से जोड़ा जा सकता है।

37. हमारी राय में, यह पूरी तरह से आई. ओ. सी. के विवेक के भीतर था–वे प्रधान होने के नाते यह तय करने के लिए कि प्रत्यर्थी की डीलरशिप को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं और यदि ऐसा है, तो किस आधार पर।आई. ओ. सी. ने प्रत्यर्थी के मामले पर विचार किया और प्रत्यर्थी के काम में दिखाई देने वाले सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके लिए उसकी डीलरशिप को बहाल करना संभव नहीं था। तदनुसार प्रत्यर्थी को दिनांकित 13.03.2013 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।

38. हमारी राय में, रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश), प्रत्यार्थी की रिट याचिका को खारिज करने और अस्वीकृति को इस आधार पर बरकरार रखने में उचित था कि उच्च न्यायालय आई. ओ. सी. के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही वह रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्णय पर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करके अपने निर्णय को प्रतिस्थापित कर सकता है।यह तब अधिक होता है जब ऐसा निर्णय किसी भी प्रकार की मनमानी से जुड़े कारणों पर आधारित होता है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

39. डिवीजन बेंच ने, हमारी राय में, पंचाट की व्याख्या करने में त्रुटि की।डिवीजन बेंच ने पूरी तरह से गलत धारणा पर आगे बढ़ना शुरू किया कि चूंकि पुरस्कार प्रत्यर्थी के पक्ष में था, इसलिए आई. ओ. सी. को केवल उसके अनुपालन में एक परिणामी आदेश जारी करना पड़ा, जिसमें आई. ओ. सी. को प्रत्यर्थी की डीलरशिप को पुनर्जीवित करने और प्रत्यर्थी को ईंधन की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया गया।जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, खंड पीठ का यह दृष्टिकोण गलत था और इसलिए, कानूनी रूप से अस्थिर है।

40. ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके आलोक में हमारा विचार है कि एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया तर्क और निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित है, जबकि खंड पीठ द्वारा किया गया तर्क और निष्कर्ष उचित नहीं है और इसलिए इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

41. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि आई. ओ. सी. ने कुछ परिपत्र जारी किए हैं जो इसमें प्रदान करते हैं कि किसी भी डीलर के समाप्त डीलरशिप के मामलों पर फिर से विचार कैसे किया जाए।हमारी राय में, इस निवेदन का कोई औचित्य नहीं है और हम ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में मामले के इस पहलू में जाना उचित नहीं मानते हैं।

42. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपील की अनुमति देते हैं, खंड पीठ के विवादित आदेश को अपास्त करते हैं और एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) के आदेश को बहाल करते हैं और इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज की जाती है।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

Jai Shankar Mishra